राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 12(65)राज-1/1997 जयपुर, दिनांक : 07/12/2020

:: विज्ञप्ति ::

राजस्व विभाग में राज. उपनिवेशन अधिनियम, 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1956, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तथा इनके अन्तर्गत बनाये नियमों के विधमान प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं सरलीकरण संबंधी कार्य सम्पादन हेतु 01 राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी (चयनित वेतनमान/सलेक्शन स्केल या इससे उपर के स्तर के) एवं 01 विधि सेवा के सेवानिवृत उपविधि परामर्शी, जिन्हें उक्त पद पर 10 वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव हो, की परामर्शी सेवाएं लिये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उक्त कार्य 3 माह की अवधि की पूर्ण करना होगा एवं आवश्यक होने पर इस अवधि में अधिकतम 2 माह की वृद्धि की जा सकेगी। उक्त कार्य हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी को 50,000 रूपये प्रतिमाह एवं विधि सेवा के सेवानिवृत उपविधि परामर्शी को 40,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन-पत्र संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में प्रेषित कर सकते है।

(राकेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

विषयः-राज्य प्रशासनिक सेवा व विधि सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों की परामर्शी सेवाएं लिये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के क्रम में राज. उपनिवेशन अधिनियम, 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1956, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तथा इनके अन्तर्गत बनाये नियमों के विधमान प्रावधानों में अवश्यक संशोधन एवं सरलीकरण हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के चेप्टर IV के नियम 17 के अंतर्गत सिंगल सोर्स उपापन निमित 01 राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी (चयनित वेतनमान/सलेक्शन स्केल या इससे उपर के स्तर के) एवं 01 विधि सेवा के सेवानिवृत उपविधि परामर्शी की परामर्शी सेवाएं लिये जाने के संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है।

कार्मिक (ग) विभाग से प्राप्त सहमति अनुसार उक्त सेवानिवृत अधिकारियों की परामर्शी सेवाओं पर होने वाला व्यय कार्मिक विभाग के लेखा मद 2052-00-090-02-01-41 संविदा व्यय (राज्यनिधि) से वहन किया जायेगा।

उक्त संबंध में आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है, जिसे राजस्व विभाग की वेब-साईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(राकेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

शासन उप सचिव,
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

अ.शा. टीप क्रमांक प. 12(65)राज.-1/1997
जयपुर, दिनांक : 07/12/2020